International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 02(IV), April - June, 2021, pp.147-152

# सतत् विकास के लक्ष्य व भारत में बालश्रम उन्मूलनः एक चुनौती

नीतू गुप्ता*

**सार**

*लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता की प्राप्ति संविधानों का मूल आधार होती है। प्रत्येक देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय संसाधनों के माध्यम से प्रयासरत रहता है। किन्तु विकासशील देश आर्थिक संसाधनों के अभाव व सामाजिक असमानता के कारण गरीबी, बालश्रम, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी जैसी विकराल समस्याओं का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को मुख्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए सतत विकास के 17 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किये गये, जिनमें 2025 तक सम्पूर्ण विश्व से बालश्रम का उन्मूलन भी प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत के द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा है, किन्तु बालश्रम की समस्या व्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौती बनी हुई है। अथक प्रयासों के पश्चात भी भारत का विश्व में बालश्रम के मामलों में प्रथम स्थान है। विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 ने सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को आघात पहुँचाया है। बालश्रम की समस्या न केवल उनके शारीरिक, मानसिक विकास में बाधक है वरन् उनके मानवाधिकार संरक्षण के लिए भी गंभीर चुनौती है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में भारत में बालश्रम उन्मूलन हेतु किये जा रहे प्रयास व सतत विकास के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।*

***कुंजीशब्दः*** *बालश्रम, सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ, सामाजिक व आर्थिक समानता, मानवाधिकार।*

---

**प्रस्तावना**

विश्वव्यापी स्तर पर सामाजिक व आर्थिक विकास का एक सामान्य स्तर प्राप्त करने के लिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं का संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन निर्माण किया जाता रहा है, जिनका कि मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य समस्याये, बालश्रम, पर्यावरण प्रदूषण जैसी घातक समस्याओं का समाधान करना होता है। गरीबी, संसाधनों का अभाव व विकास के लिए समान अवसरों की अनुपलब्धता के कारण विश्व के अधिकांश विकासशील व अल्पविकसित देश बालश्रम की समस्या का सामना कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आँकडे स्थिति की भयावहता को दर्शाते हैं कि अनुमानतः सम्पूर्ण विश्व में 15 वर्ष से कम आयु के लगभग 52 मिलियन बालश्रमिक हैं। बालश्रमिकों की कुल संख्या 250 मिलियन है, जिसका 61 प्रतिशत एशिया में, 32 प्रतिशत अफ्रीका मे व 7 प्रतिशत लेटिन अमेरिका में है। यद्यपि एशिया में सर्वाधिक बालश्रमिक हैं, किन्तु अफ्रीका में प्रत्येक तीसरा बच्चा बालश्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है।[1]

भारत में संख्यागत आधार पर विश्व के सर्वाधिक बालश्रमिक हैं, जिनमें से कुछ बच्चे खतरनाक औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत हैं, जो कि उनके शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित कर रहा है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1.01 करोड़ बच्चे बालश्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि गैर सरकारी आँकड़े इससे कई गुना अधिक संख्या दर्शाते हैं। बालश्रमिकों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेत कैलाश सत्यार्थी की संस्था ग्लोबल मार्च अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर के 2007 के आँकड़ों के अनुसार भारत में 6.7 करोड़ बालश्रमिक हैं।[2]

---

[6] सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, स्व. प. न. कि. भा. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व में व्याप्त विभिन्न समस्याओं की समाप्ति व विकास का सामान्य स्तर प्राप्त करने के लिए 2016 में सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिसका कि मुख्य उद्देश्य विकासशील व अल्पविकसित देशों की मूलभूत समस्याओं की समाप्ति है। बालश्रम उन्मूलन भी सतत विकस लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों से यह अपेक्षा की जा रही है कि 2025 तक पूर्ण बालश्रम उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जाये। भारत में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 के पश्चात् उत्पन्न हुए आर्थिक संकट ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी है।

**सतत विकास के लक्ष्य** (Sustainable Development Goals)**:** सतत विकास की अवधारणा विश्व पटल पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रारंभ हुई मानी जा सकती है जिसका कि सर्वप्रथम 1962 में वैज्ञानिक रॉकल कारसन की पुस्तक ''दी साइलेंट स्प्रिंग'' व जीव विज्ञानी पॉल इरलिच की पुस्तक ''पॉपुलेशन बोम्ब'' में किया गया था। इन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों को बल 1987 में ब्रुटलैण्ड आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ''हमारा साझा भविष्य'' (Our Common Future) के द्वारा प्राप्त हुआ। 14 अगस्त 2015 को संयुक्त राष्ट्र में महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किया गया, ''जिसमें सतत विकास एवं युवा रोजगार पर विशेष बल दिया गया है।'' 4 अगस्त 2015 को सतत विकास लक्ष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा ने सहमति बनाते हुए स्पष्ट किया कि आगामी 25–27 सितम्बर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की होने वाली उच्चस्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया जायेगा। सतत विकास लक्ष्य में 17 मुख्य विकास लक्ष्यों तथा 169 सहायक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए P5 (People, Planet, Peace, Prosperous व Parthership) पर विशेष बल दिया गया है।[3] सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ीयों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका, पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियाँ, ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, उत्पादन अवसरों का विकास एवं नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता ये सभी सतत विकास के उद्देश्य हैं।

पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास के लक्ष्यों में आठवें लक्ष्य के रूप में बालश्रम उन्मूलन को अविकसित देशों के लिए 2025 तक पूर्ण समाप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा व जीवन–यापन के सकारात्मक साधनों को अपनाते हुए सभी के शोषण मुक्त जीवन के लिए प्रतिबद्धता अभिव्यक्त की गई है। 8.7 लक्ष्य किसी भी प्रकार के बालश्रम, बन्धुआ मजदूरी, दासता व मानव तस्करी का निषेध करते हुए समतामूलक समाजों की कल्पना करता है। सतत् विकास के लक्ष्यों की दिशा में बालश्रम के आँकड़ों में कुछ सीमा तक कमी भी देखी जा रही थी, किन्तु विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 ने सकारात्मक परिवर्तन की ओर जा रहे विश्व व्यवस्था को पुनः बालश्रम में वृद्धि की दिशा में अग्रसर कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 9 मिलियन बच्चे पुनः आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बालश्रम की ओर उन्मुख हो चुके हैं और व्यवस्थाओं के द्वारा सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास नहीं किये तो स्थिति अत्यन्त विकट हो सकती है, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2022 तक महामारी के प्रभाव के कारण 46 मिलियन बच्चे बालश्रम के गर्त में प्रवेश कर जायेंगे।

विकासशील देशों की बेलगाम जनसंख्या वृद्धि दर व विकसित देशों के औद्योगिक व उपभोक्तावाद की वृद्धि ने सतत विकास लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। 2025 तक पूर्ण बालश्रम उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2021 को बालश्रम उन्मूलन के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप मे मनाया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बालश्रम की समाप्ति की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 2002 में बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस की घोषणा की तभी से बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता का प्रसार करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 12 जून को बालश्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। स्त्री पुरुष समानता, बेहतर विकास और विश्व की जनसंख्या को गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों आदि के अभिशाप से मुक्ति दिलाने तथा एक समान वृद्धि और सतत विकास को अर्जित करने के अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसकी संकल्पना की गई है।

जिस प्रकार स्वतंत्रता, समानता व न्याय के लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति प्रत्येक देश अपने परिवेश के अनुकूल स्थापित करने के प्रयास करते हैं, उसी प्रकार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति विश्व के समस्त देशों में समान स्तर पर प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं, किन्तु इस सन्दर्भ में देशों से यह अपेक्षा अवश्य की जा सकती है। सतत विकास को एक आदर्श के रूप में प्रोत्साहित किया जाये व विश्व व्यवस्थाओं को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का विवेकशील प्रयोग करते हुए प्रयत्नशील रहना चाहिए। महामारी की चपेट में आये परिवारों के बच्चों को बालश्रम से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्धतपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है, अन्यथा स्वतंत्र विकास के लक्ष्य दिवास्वप्न बन जायेंगे।[4]

**भारत में बालश्रम की समस्या**

जनसांख्यिकी द्वारा कार्य को परिभाषित किया है जिसके अनुसार, आर्थिक उत्पादकता संबंधी गतिविधियों में किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक भागीदारी जिसकी एवज में लाभ, मजदूरी व क्षतिपूर्ति प्रदान की जा रही है अन्यथा नहीं ऐसी प्रत्येक गतिविधि श्रम सम्बन्धी कार्य है।[5] बालश्रम से तात्पर्य बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में लगाना है जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है। नियमित स्कूल जाने की उसकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है और यह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आँकड़ों के अनुसार विश्व में 5–17 वर्ष के 152 मिलियन बाल श्रमिक हैं, जिनमें से 23.8 मिलियन बाल श्रमिक भारत में हैं। इसका आशय है कि इस आयु वर्ग में 16 प्रतिशत बाल श्रमिक या प्रत्येक छठवां बाल श्रमिक भारत में है।[6] यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष बहुत विशाल प्रश्नचिन्ह है कि जिस उम्र में बच्चे शिक्षा प्राप्त करके शारीरिक व मानसिक विकास करते हैं, उस उम्र में खतरनाक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहकर मजबूरीवश अपने विकास को बाधित कर रहे हैं। देश में उपलब्ध कुल श्रम शक्ति का लगभग 36 फीसदी हिस्सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। यह अत्यन्त ही गंभीर पहलू है कि हमारे देश में प्रत्येक नवां बच्चा कहीं न कहीं कार्य कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 85 फीसदी बच्चे पारम्परिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं, जबकि लगभग 9 फीसदी बच्चे मरम्मत, सेवा और उत्पादन के कार्यों में लगे हुए हैं।[7] भारत में बालश्रमिक मुख्य रूप से हस्तकला उद्योग, बीड़ी निर्माण, घरेलू कार्य, मेटल वेयर, होटल, ढाबों, पटाखा फैक्ट्री एवं अन्य लघु व मध्यम क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं, जहाँ कि उनका शोषण चरम पर है।[8]

भारत में प्राचीन काल से ही बालकों को पारिवारिक कार्यों में पारंगत करने के लिए उन्हें परिवारजनों के साथ कार्य पर लगाये जाने की परम्परा विद्यमान थी, किन्तु औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने उत्पादन के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जिससे बालकों के कार्य की अवस्था ने उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया को शोषण में बदल दिया है।

भारत में बालश्रम के दो मुख्य कारक हैं–

प्रभावित परिवारों में घोर गरीबी की समस्या।

गरीब परिवारों में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे आधारभूत मुद्दों के प्रति जागरूकता का अभाव।

उत्तरी भारत में बालश्रम व शोषण परिवारों व समाज के द्वारा सहज रूप में स्वीकृत परिवेश इस सन्दर्भ में बन चुका है कि आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बालकों के द्वारा कार्य करना गरीबी को दूर करने के लिए अपरिहार्य है।[9] बालश्रम एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे सर्वप्रथम बालकों के मानवीय अधिकारों का हनन होता है व शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अनुकूल अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण मानवीय पूँजी के दीर्घकालीन विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बालकों की सस्ते श्रम के रूप में उपलब्धता के कारण लघु व मध्यम क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों में प्राथमिकता प्राप्त करते हैं, बहुधा ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है, जहाँ कि परिवार के व्यस्क व्यक्ति तो बेरोजगार हो जाते हैं व बच्चे उन्हीं इकाईयों में कार्यरत रहते हैं। इसका सर्वप्रमुख कारण बालकों की सौदेबाजी की क्षमता में कमी का अभाव है।[10] बाल श्रमिकों में ज्यादातर आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चे ही होते हैं।[11]

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् बालश्रम की समस्या के समाधान के लिए अनेक संवैधानिक व कानूनी प्रावधान किये गये हैं जिनमें 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि गरीबी बालश्रम का मुख्य कारण है व समस्या के समाधान हेतु खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने व कार्यक्षेत्र में सुविधा प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किये गये। बालश्रम के स्वरूप व क्षेत्र को परिभाषित करना जटिल प्रक्रिया है क्योंकि कहीं पर बगैर मजदूरी के बालकों से कार्य करवाया जा रहा है व कहीं पर बालकों से उनकी क्षमताओं के विपरीत परिस्थितियों में कार्य करवाया जा रहा है।[12] गुरुपाद स्वामी समिति के द्वारा बालश्रम व बालशोषण के मध्य भेद करते हुए तीन पहलू बताये गये–

जब बच्चा अपनी क्षमता से अधिक कार्य करे।

जब कार्य के घंटे उसकी शिक्षा, मनोरंजन व आराम में बाधा उत्पन्न करे।

जब कार्य के अनुकूल वेतन प्राप्त नहीं हो।

जब खतरनाक उद्योगों में कार्य करने के कारण उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव हो।[13]

बालकों को बालश्रम से सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने हेतु अनेक कानून सरकारों द्वारा समय–समय पर बनाये गये जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, बाल नियोजन अधिनियम 1949, खान अधिनियम 1952, कारखाना संशोधन अधिनियम 1954, बाल नियोजन संशोधन अधिनियम 1978, बालश्रमिक अधिनियम 1986 प्रमुख रूप से हैं। भारतीय संसद द्वारा 2016 में पारित बालश्रम (निषेध और नियोजन) संशोधन अधिनियम 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के नियोजन तथा 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान के द्वारा भी बालकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है।

**अनुचछेद 15(3),** बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार देता है।

**अनुच्छेद 21,** जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

**अनुच्छेद 21(क),** 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।

**अनुच्छेद 24,** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में रोक लगाता है।

**अनुच्छेद 39**, बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधायें उपलब्ध कराने का आदेश देता है।

**अनुच्छेद 51 ए,** माता–पिता पर बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्त्तव्य निर्धारित करता है।

उपरोक्त प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत में बालश्रम से जुड़े कुल मामलों में कमी देखी गयी है। 2001 और 2011 के जनगणना के आंकड़े विशेष रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम की कुल संख्या में भारी कमी को दर्शाते हैं। जनगणना ऑकड़े के अनुसा 5–14 आयु वर्ग के 1.26 करोड़ कामकाजी बच्चों की संख्या (2001) से घटकर 43.53 लाख (2011) हो गये हैं। भारत में करीब 50 प्रतिशत बच्चे बचपन के अधिकारों से वंचित हैं और वे अनपढ़ कामगार ही बने रहेंगे और उन्हें अपनी सच्ची क्षमताएँ हासिल करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में कोई भी देश महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता है। यह मान्यता कि बालश्रम अपरिहार्य है और उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, भारत में बालश्रम की नीति के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है।

## सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास

बालश्रम की समाप्ति अपरिहार्य है। एम. एडवर्ड के मत में, बच्चे देश का भविष्य हैं, बचपन अवसर प्राप्ति का जैविक प्रवेश द्वारा है व बच्चों की सुरक्षा मानव जाति का सबसे बड़ा निवेश है, इसका पतन होने पर समाज की उन्नति व विकास संभव नहीं है।[14] बालश्रम के 2025 तक पूर्ण उन्मूलन के लिए भारत सरकार व गैर

सरकारी संस्थाओं द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि विश्वव्यापी महामारी कविड–19 के कारण सकारात्मक प्रयासों की दिशा को गहरा आघात हुआ है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. डेट्रोस के मत में इस महामारी ने न केवल स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं, वरन् भयानक सामाजिक व आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि भयंकर गरीबी में जीवन–यापन कर रहे 386 मिलियन बच्चों में से 66 मिलियन बच्चे अत्यधिक गरीबी में प्रवेश कर गये हैं। गरीबी का प्रत्यक्ष परिणाम बाल–श्रमिकों की संख्या में वृद्धि को बढ़ावा देना है। इसलिए सतत् विकास लक्ष्य को समयबद्ध प्राप्त करना वर्तमान परिवेश में भारत के लिए कठिन चुनौती है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामूहिक स्तर पर किये गये प्रयासों से ही बालश्रम का पूर्ण उन्मूलन संभव है। बालश्रम से मुक्त किये गये बच्चों का पुनर्वास अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से परिवारों की आर्थिक आवश्यकतायें इन बच्चों के द्वारा ही पूरी की जाती हैं इसलिए उनको रोजगार के उचित अवसर व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। बाल मजदूरों की समस्या को नये सिरे से आकलन करने और वास्तविक आंकड़ों के साथ 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से सभी तरह के बालश्रम से बाहर लाने की आवश्यकता है। बालश्रमिकों से जुड़े परिवारों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की छतरी में लाये बिना यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।[15] बालश्रम उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नौकरशाही, समाज, सरकार के प्रयासों में तेजी लाने के लिए इसे एक व्यापक अभियान का स्वरूप दिये जाने की आवश्यकता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय भी कार्य से हटाये गये बालकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना ;छब्स्च्द्ध का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 9–14 वर्ष की आयु वर्ग के कार्य से हटाये गये कार्यरत बालकों को एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत मुख्य धारा में लाने से पहले पूरक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्यान्ह भोजन, वृति, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान की जाती है। 1.26 लाख बालकों के नामांकन के साथ यह योजना वर्तमान में देश के 280 जिलों में स्वीकृत है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 दिसम्बर 2017 को बालश्रम प्रतिषेध के प्रभावी प्रवर्तन हेतु एक मंच पेन्सिल की शुरुआत की है। पेन्सिल एक इलैक्ट्रोनिक मंच है, जिसका उद्देश्य बालश्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र, राज्य, जिला, सरकार, सिविल सोसाइटी और आम जनता को सम्मिलित करना है।[16]

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के मत में बच्चों के अधिकार संरक्षण के अभाव में देश का विकास संभव नहीं है। इनकी गैर सरकारी संस्था बचपन बचाओ आन्दोलन का इस सन्दर्भ में विशेष योगदान माना जा सकता है कि इसके द्वारा बालश्रम से मुक्त कराये गये बच्चों के पुनर्वास की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कैलाश सत्यार्थी ने कोविड–19 के कारण बालश्रमिकों की संख्या में इजाफा होने की संभावना के कारण सुझाव दिया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए व बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए।

हमारे संघीय ढ़ांचे में सतत् विकास लक्ष्यों की सम्पूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों में कार्यान्वित की जा रही बालश्रम उन्मूलन की योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सतत् विकास लक्ष्य 8.7 के अनुसार 2025 तक किसी भी प्रकार के बालश्रम को समाप्त किया जायेगा। एक बार इन लक्ष्यों को प्राप्त होने पर इनका लाभ अगली पीढ़ी को मिल सकेगा व उनमें भी कार्यस्थल पर सुरक्षा व बालश्रम के विरोध में भावना को बल मिलेगा। बच्चे राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति हैं, इस निधि के संरक्षण व विकास के लिए उन परिवारों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जहाँ कि ये जन्म लेते हैं, वरन् इनके सामाजिक, नैतिक एवं आर्थिक मूल्यों के विकास का उत्तरदायित्व उस समाज व राष्ट्र का भी है, जहाँ कि उनका पालन–पोषण होता है। सामाजिक समस्याओं से जुड़े विशाल लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसहभागिता जरूरी होती है। बालश्रम के पूर्ण उन्मूलन के सन्दर्भ में प्रत्येक स्तर पर लिये गये नीतिगत निर्णयों की ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वित सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध हो सकती है।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची


1. ILO (1997) Strategies for Eliminating Child Labour, Oslo : International Conference on Child Labour.
2. Sharma Subhash, India Social Development Report (2008 : 181) भारत में बाल मजदूर (2006)।
3. तिवारी कुमार शिव संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर सहमत www.sssgcp.com
4. Ahmed Ajaz, End Child Labour by 2025, will India Achieve milestone Amid Covid–19 Pandamic, therologicalindian.com
5. Daniel Omi, Covid–19 and Changing face of Child Labour 1 July 2021 Published –Down to Earth.
6. Global Estimates of Child Labour: Results and Trends (2012–16).
7. Kaushal Lata ed. 2009, Child Labour and Human Rights, M.D. Publications, New Delhi, Pg. 01.
8. The Indian Journal of Social Work Vol. XLIX No. 3 (July 1980) PP 239–243.
9. वही पृ. 88
10. Kothari, "There is Blood on those mateh sticks–Child Labour in Sivkasi" Economic and Political Weekly (1983) Pg. 1191
11. Burra Neera (1995) Born to work, New Delhi Oxford University Press.
12. Sharma Subhash, 2018, Human Rights Text and Context, Rawat Publications, Jaipur.
13. शर्मा सुभाष (2006) भारत में बाल मजदूर प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, पृ. सं. 221
14. एम. एडवर्ड (1999) "Policy Arena; Children in Development : Journal of International Development, Vol. 8, No. 6.
15. हस्तक्षेप.कॉम 25 मार्च 2019
16. बालकों की सुरक्षा, सूचना बुलेटिन, लोकसभा सचिवालय, जनवरी 2019


❖◆❖